

प्रश्न
FORM

दिनांक को वर्ष के लिए अचल संपत्ति का विवरण

STATEMENT OF IMMOVABLE PROPERTY FOR THE YEAR AS ON

अधिकारी का नाम : वर्तमान वेतन

Name of the officer: Present Pay

सेवा का नाम जिससे अधिकारी संबंधित है

वर्तमान पद :

Present Post held :

क्रमांक, सब डिवीजन, तालुका और गाँव का नाम जहाँ संपत्ति है	संपत्ति, आकाशीय भूमि और अन्य भवनों आदि का नाम व खोज	वर्तमान मूल्य Present Value	यदि संपत्ति अपने स्वयं के नाम पर नहीं है तो बताएं कि किसके नाम से है तथा उससे धारकता संबंधी या संबंध क्या है ? If not in own name, state in relationship to Govt. Servant.	संपत्ति कैसे आर्जित की गई ? क्या खरीदी गई, पट्टे पर ली गई, दान, उत्तराधिकार, अर्पण अथवा किसी अन्य स्रोत से ली गई ? How acquired ? Whether by purchase, lease, mortgage, inheritance, gift or otherwise with date of acquisition and name with details of persons from whom acquired.	संपत्ति से वार्षिक आय Annual Income from the property.	अन्य टिप्पणी Remarks
1. <input type="text"/>	2. <input type="text"/>	3. <input type="text"/>	4. <input type="text"/>	5. <input type="text"/>	6. <input type="text"/>	7. <input type="text"/>

नोट: 'जहाँ' खंड लागू नहीं है, उसे क्लिक टिकिया जाए ! Inapplicable clause be struck out.

* जहाँ मूल्य का सहीक आंशकत संभव नहीं है वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में अनुमानित मूल्य अंकित किया जाए ! In case where it is not possible to assess the value accurately the approximately value in relation to present conditions may be indicated.

** असम्पत्तिक पट्टे पर ली गई भी शामिल है ! Includes short term lease also.

टिप्पणी : घोषणा पत्र भरना तथा इसे केंद्रीय विनिर्दिष्ट सेवा (आवरण) विभाग/वर्ग, 1964 के नियम 18(1) के अर्धीन सेवा में प्रथम नियुक्ति पर श्रेणी-1 तथा श्रेणी- II वर्गीकरण एवं वर्ग (स)के प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रस्तुत करने आवश्यक है और इसके पश्चात इसे प्रत्येक वर्ष के अंतराल पर भरा जाए जिसमें उसके नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा अन्य किसी व्यक्ति के नाम पर आर्जित, उत्तराधिकार में प्राप्त, पट्टे पर ली गई अथवा दानक संपूर्ण अथवा संपत्ति का विवरण दिया गया हो ।

Note : The declaration form is required to be filled and submitted by every member of Class-I and class-II service under Rule 18(1) of the Central Civil Services (Conduct) Rules 1964 on the first appointment to the service and thereafter at the interval of every year giving particulars of all immovable property owned, acquired or inherited by him or held by him on lease or mortgage either in his own name or in the name of any members of his family or in the name of any other person.

हस्ताक्षर/Signature
दिनांक/Date